पत्रांक–04/NULM-05/15– 34 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–04/7/19

विषयः– **दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के कार्यान्वयन हेतु** SCSP मद में **विमुक्त केन्द्रांश की राशि रू0 9,56,58,975.00 के अवशेष राशि रू0 1,16,58,975.00 (एक करोड़ सोलह लाख अठावन हजार नौ सौ पचहत्तर रू0 मात्र) का वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।**

आदेशः–स्वीकृत।

DAY-NULM योजना के अधीन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F. No.-G-24011/22/2018-UPA-I UD (EFS-9045675) दिनांक–22.02.2019 द्वारा SCSP मद में केन्द्रांश की राशि रू0 9,56,58,975.00 विमुक्त की गयी है। जिसमें से उपबंधित राशि रू0 8,40,00,000.00 की निकासी स्वीकृत्यादेश सं0–144 दिनांक–08.03.2019 एवं आवंटनादेश सं0–102 दिनांक–08.03.2019 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में कर ली गयी है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में अवशेष राशि रू0 1,16,58,975.00 (एक करोड़ सोलह लाख अठावन हजार नौ सौ पचहत्तर रू0 मात्र) सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

2. स्वीकृत राशि रू0 1,16,58,975.00 (एक करोड़ सोलह लाख अठावन हजार नौ सौ पचहत्तर रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, ज्ञापांक–7085 दिनांक–19.09.2018 एवं पत्रांक–256 दिनांक–26.02.2019 के अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में एक मुश्त की जाएगी। राशि निकासी कर बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना के बैंक खाता SJSRY (A&OE) BUDA State Share A/C No.-3891001200000031, IFSC Code-PUNB0389100 पंजाब नेशनल बैंक SPL SSI शाखा, पटना में संधारित की जायेगी। योजना के कार्यान्वयन हेतु संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/नगर निकायों को बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा आवश्यकतानुसार RTGS/CFMS/PFMS के माध्यम राशि से उपलब्ध करायी जाएगी।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि0 (2), दिनांक–05.10.97 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना का प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में विभाग द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी।

5. स्वीकृत राशि रू0 1,16,58,975.00 (एक करोड़ सोलह लाख अठावन हजार नौ सौ पचहत्तर रू0 मात्र) की निकासी योजना मांग संख्या– 48 मुख्यशीर्ष–3475– अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें –उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष– 0202– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, विपत्र कोड–48-3475007890202, PFMS कोड–2000– विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान 0202.31.06–सहायक अनुदान गैर वेतनादि में वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि रू0 32,00,00,000.00 (बत्तीस करोड़ रू0 मात्र) में से विकलनीय होगी।

6. **राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा।** चूंकि यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी BTC फॉर्म 42 पर किया जायेगा।राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। राशि की निकासी के लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. राशि का व्यय DAY-NULM शहरों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग का अनुमोदन संचिका के पृ0 सं0– 74/टि0 पर दिनांक– 2.7.19 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0 सं0– 73 /टि0 पर दिनांक– 1.7.19 को प्राप्त है।.

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03.07.19

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांकः–04/NULM-05/15– 34 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांकः–04.07.19

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.07.19

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांकः–04/NULM-05/15– 34 / न० वि० एवं आ० वि०, पटना, दिनांकः–04.07.19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/बजट शाखा–02, नगर विकास एवं आवास विभाग/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित DAY- NULM नगर निकाय/आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03.07.19

सरकार के विशेष सचिव।